NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

M.R.D.E. -003

भूमि सुधार और ग्राम विकास

(Land Reforms and Rural Development)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Manish Kumar*

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

MRP ₹ 320/-

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

© Copyright Reserved with the Publishers only.

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

Disclaimer/T&C

1. *For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.*
3. *These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.*
4. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
5. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
6. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
7. *The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*
8. *All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.*
9. *All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.*

Get books by Post & Pay Cash on Delivery :

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the "Special Discount Schemes" being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay "Cash on Delivery" (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

Content

भूमि सुधार और ग्राम विकास

(Land Reforms and Rural Development)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2
Question Paper—December-2022 (Solved) 1-2
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1-2
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1-2
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1-2
Question Paper—June, 2019 (Solved) 1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved) 1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved) 1-2
Question Paper—December, 2017 (Solved) 1-2
Question Paper—June, 2017 (Solved) 1-2

S.No.	*Chapterwise Reference Book*	*Page*

भूधृति प्रणालियाँ और कृषिक संरचना

(Land Tenure Systems and Agrarian Structure)

1. ग्राम विकास में भूमि-सुधार का महत्त्व 1
(Significance of Land Reforms in Rural Development)

2. भारत में भूधृति प्रणालियों का उद्भव और विकास 14
(Origin and Development of Land Tenure Systems in India)

3. भूधृति प्रणालियाँ और कृषिक संरचना-I 29
(Land Tenure Systems and Agrarian Structure–I)

4. भूधृति प्रणालियाँ और कृषिक संरचना – II 40
(Land Tenure Systems and Agrarian Structure – II)

5. कृषिक संरचना और किसान आंदोलन 47
(Agrarian Structure and Agrarian 'Movements')

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

स्वतंत्र भारत में भूमि-सुधार (Land Reforms in Independent India)

6. स्वतंत्रता आंदोलन और भूमि-सुधार की एक लम्बी तलाश : संकल्पनाएँ एवं कार्यनीतियाँ 59
(Freedom Movement and Quest for Land Reforms: Concepts and Strategies)

7. भूमि-सुधार : संवैधानिक प्रस्थिति और राज्य विधान–I 71
(Land Reforms: Constitutional Status and State Legislation – I)

8. भूमि-सुधार : संवैधानिक प्रस्थिति और राज्य विधान–II 83
(Land Reforms: Constitutional Status and State Legislation-II)

9. भारत में भूमि-सुधार : गैर-सरकारी पहल 94
(Land Reforms in India: Non-Governmental Initiatives)

10. अर्थव्यवस्था और समाज पर भूमि-सुधार का प्रभाव 109
(Impact of Land Reforms on Economy and Society)

भूमि-सुधार कार्यान्वयन – बाध्यताएँ एवं संभावनाएँ
(Implementation of Land - Reform — Constraints and Prospects)

11. भू-राजस्व प्रशासन – I (Land Revenue Administration - I) 126

12. भू-राजस्व प्रशासन – II (Land Revenue Administration - II) 136

13. भूमि-सुधार : सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सीमाएँ 148
(Land Reforms: Social, Economic and Political Limitations)

14. पंचायती राज और भूमि-सुधार (Panchayati Raj and Land - Reforms) 157

15. भूमि-सुधार : एशियाई परिप्रेक्ष्य (Land Reforms: Asian Experiences) 165

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

भूमि सुधार और ग्राम विकास

M.R.D.E.-003

(Land Reforms and Rural Development)

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

*नोट : (i) सभी **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (ii) सभी प्रश्नों के **अंक समान** हैं।*

प्रश्न 1. भारत में भू-अधिकार प्रणाली पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-16, 'भूधृति प्रणाली पर उपनिवेशवाद का प्रभाव'

अथवा

भारत में 20वीं सदी के प्रारंभ में किसान आन्दोलनों के मुख्य पहलुओं को समझाइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-65, प्रश्न 5 तथा पृष्ठ-64, प्रश्न 1 तथा प्रश्न 2

प्रश्न 2. भारत में काश्तकारी सुधारों के प्रभाव की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-111, 'काश्तकारी सुधारों का प्रभाव'

अथवा

भूदान और ग्रामदान आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं और योगदानों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-104, प्रश्न 1 तथा पृष्ठ-105, प्रश्न 2

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) मुगलकाल के दौरान भू-राजस्व संग्रह प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-130, प्रश्न 3

(ख) भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर भूमि सुधारों के प्रभाव की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-114, 'समाज और अर्थव्यवस्था पर भूमि सुधारों का संचयी प्रभाव'

(ग) भूमि सुधारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संक्षेप में समझाइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-71, 'भूमि सुधारों के संवैधानिक प्रावधान'

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) जमींदारी प्रणाली

उत्तर–जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार और उसके सहायक। अभिकर्ता अर्थात गुर्गे शिकमी काश्तकारों तथा बिचौलिए भू-राजस्व की गणना तथा इसके संग्रह का कार्य करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार को भू-राजस्व केवल जमींदारों से ही प्राप्त होता था, इसलिए कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शासन के लिए भू-राजस्व संग्रहण का कार्य आसान हो गया। इसके अतिरिक्त ये जमींदार भारतीय कृषक और अंग्रेजी सरकार के मध्य एक संपर्क सूत्र की तरह कार्य करते थे। जमींदार कृषकों से अधिक-से-अधिक राजस्व संग्रह करने के अधिकारी थे। इस प्रकार की राजस्व व्यवस्था के अधीन कृषकों का शोषण अनिवार्य हो पाता है। यह सत्य है कि कृषक किसी भी कृषक समाज का महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है। समाज में घटित राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव का कृषक समाज पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। जमींदारी प्रथा व्यवस्था की सहायता से अंग्रेजी राज भारत के विशाल जन समुदाय पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुआ और इस कार्य में जमींदार अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष भागीदार था। राजस्व संग्रहण के विषय पर कृषक इन जमींदारों के हाथों ही नियंत्रित होते थे। इस स्थिति में किसानों का शोषण अनिवार्य था, जो स्वाधीनता प्राप्ति के समय तक भी स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता था।

(ख) दक्कन (Deccan) किसान आन्दोलन

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-54, प्रश्न 5

(ग) गुप्तकाल के दौरान भूमि काश्तकार प्रणाली

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-19, प्रश्न 2

(घ) वैदिककाल में भूमि काश्तकार प्रणाली

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-24, प्रश्न 3

(ङ) कृषि संरचना पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-29, 'कृषिक संरचना पर अंग्रेजी राज का प्रभाव'

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

(च) पंचायतों के माध्यम से भूमि सुधार

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-160, 'पंचायतों के माध्यम से भूमि सुधार'

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन्हीं पांच पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए–

(क) पावना आन्दोलन

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-54, प्रश्न 4

(ख) जाति व्यवस्था

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-155, प्रश्न 4

(ग) भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-86, 'भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण'

(घ) भारतीय गांव

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-154, 'भारतीय गांव : ऐतिहासिक संदर्भ'

(ङ) महलवाड़ी

उत्तर–महालवारी व्यवस्था अवध, आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत तथा उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के कुछ भागों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी गाँव की सीमा में आने वाले सभी कृषक गाँव के प्रधान की ओर एक नियत समय के लिए समझौता कर राजस्व का भुगतान करते थे। कृषक समुदाय अपनी भूमि के अनुसार अपना राजस्व कर भी नियत राशि अदा करने के लिए बाध्य थे। इसके साथ ही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें सभी कृषक एक-दूसरे के बकाया राजस्व के भुगतान के लिए भी जबावदेह थे। भू-राजस्व के अंश के अनुसार ही खेती की जाती थी। भू-राजस्व के भुगतान के संदर्भ में भारतीय कृषकों के लिए यह एक नई व्यवस्था थी। इस संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि महालवारी व्यवस्था भारतीय कृषकों के लिए निःसंदेह अनुकूल थी, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषकगण जमींदार के अतिरिक्त भू-राजस्व का भुगतान भी करते थे, लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा की अहम् भूमिका थी। किसी कृषक द्वारा भूमि को त्याग करने की स्थिति तथा इसका दायित्व ग्राम सभा पर ही था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू-राजस्व की राशि नियत होती थी जिसको संकट के समय में भी कम करना असंभव था, लेकिन सन 1822 में इस व्यवस्था के अंतर्गत भू-राजस्व संग्रह का अधिकार जो लंबरदार को या ग्राम प्रधान को दे दिया गया था, लेकिन इस व्यवस्था में निहित कमियों के कारण कृषकों में असंतोष व्याप्त था। सन 1822 ई. में इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। पैदावार तथा राजस्व के आकलन के लिए विभिन्न तरीके अपनाये गए। उदाहरणार्थ, भूमि से संबंधित विभिन्न नक्शों, रजिस्टरों आदि का तैयार किया जाना। मार्टिन बाईडे प्रिंस को उत्तर भारत नई भू-राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है, उन्हीं के हाथों यह कार्य सम्पन्न हुआ।

(च) भूमि सुधार के आयाम

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'भूमि सुधार के आयाम'

(छ) भूमि जोत का समेकन

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-159, 'जोतों की चकबंदी' तथा अध्याय-8, पृष्ठ-9, प्रश्न 4

(ज) परिचालन होल्डिंग का पैटर्न

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-46, प्रश्न 4

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

भूमि–सुधार और ग्राम विकास
(Land Reforms and Rural Development)

भूधृति प्रणालियाँ और कृषिक संरचना
(Land Tenure Systems and Agrarian Structure)

ग्राम विकास में भूमि–सुधार का महत्त्व
(Significance of Land Reforms in Rural Development)

1

परिचय

भारत गाँवों का देश है। इस देश की अधिकांश जनसंख्या इन गाँवों में निवास करती है और यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि या इससे जुड़े काम धंधे हैं, फिर भी ग्रामीणों की आय कम है लेकिन वे कृषिक उत्पाद तथा खनिज जैसे प्राथमिक उत्पादों के स्रोत हैं, जिसका राष्ट्र–निर्माण में अत्यधिक महत्व भी है। यही कारण है कि सरकार ने अपने प्रयासों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त बनाने की कोशिश की है। इन कमियों का आधार भूमि–सुधार से संबंधित कार्यक्रम ही रहा है। निःसंदेह भूमि–सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के अंतर्गत भूमि–सुधार का अर्थ और परिभाषा, ग्राम विकास के लिए इसका क्षेत्र एवं महत्त्व इन सुधारों के उद्देश्य और दृष्टिकोण तथा ग्राम विकास में इसके योगदान जैसे सैद्धांतिक मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक संरचना के संदर्भ में भूमि–सुधार को समग्र रूप से समझा जा सकता है।

अध्याय का विहंगावलोकन

भूमि–सुधार : अवधारणा और अर्थ

भूमि–सुधार के अर्थ तथा कार्यक्षेत्र को इसके दृष्टिकोण के माध्यम से निम्नवत समझा जा सकता है।

भूमि–सुधार की परिभाषा

सामान्यतः भूमि–सुधार का सरोकार भूमिहीन काश्तकारों एवं खेतिहर मजदूरों के लाभार्थ भूमि से संबंधित अधिकांश के पुनर्वितरण से है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमि–सुधार को एक समेकित कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया था, जिसमें भूमि–धारण अधिकारों में निहित कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत थीं–

(i) ग्रामीण समाज में विद्यमान परंपरागत आर्थिक, राजनीतिक शोषणात्मक शक्ति का समग्र रूप में उन्मूलन करना।

(ii) किसानों को संगठित करके कृषि कार्य और निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।

(iii) उत्पादन के कारकों में भूमि एवं श्रम के गहन उपयोग के उद्देश्य से अतिरिक्त कृषि–भूमि का पुनर्वितरण।

(iv) उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी की नवीन पद्धतियों को अधिक तेजी से स्वीकार करना।

ध्यातव्य है कि 'भूमि–सुधार' और 'कृषिक सुधार' जैसे शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। यद्यपि शीतयुद्ध के दौरान अतिवादी आंदोलन को कुचलने के लिए कृषिक सुधार जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था, तथापि भूमि–सुधार में भूधृति अधिकारों और कृषि से संबंधित संस्थाओं के पक्ष में किए गए सुधार भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार ग्रामीण और विकास प्रशासन भूमि के पुनर्वितरण के संदर्भ में अधिक विस्तृत अर्थ का सूचक है। निःसंदेह कहा जा सकता है कि भूमि–सुधार का सरोकार भूधृति अधिकारों तथा भूमि के पुनः वितरण से है जिस पर देश के सामाजिक-राजनीतिक परिवेश का व्यापक प्रभाव रहता है। यही कारण है कि भूमि के पुनः वितरण के संदर्भ में किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए नियोजित और सार्वजनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है अन्यथा अधिकांश भूधृति नीतियाँ दिग्भ्रमित हो जाती हैं।

भूमि–सुधार : विविध दृष्टिकोण

भूमि–सुधार के चार बुनियादी दृष्टिकोण हैं जिसे निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है–

एशिया और मध्य पूर्व : 'जोतने वाले के लिए भूमि'–द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निर्माण कार्य के अंतर्गत। भूमि–सुधार के अंतर्गत सामंती भू-संपदाओं को नष्ट कर दिया गया तथा कम्युनिस्ट क्रांति के विस्तार को रोक दिया गया। इसका पूर्वी एशिया पर व्यापक प्रभाव पड़ा। परिणामतः इस क्षेत्र में गरीबी और भूमिहीनता के उन्मूलन के साथ एक स्वतंत्र स्वामित्व वाले किसान वर्गों का उदय हुआ। निःसंदेह यह कार्य स्वयं में एक अनुपम उदाहरण था। इस

www.neerajbooks.com

कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित देशों में निम्न सुधार किए गए–

(*a*) जापान में भूमि-सुधार का कार्य अमेरिकी अधिग्रहण बलों द्वारा संभव हुआ। इस दौरान बड़े जमींदारों की शक्ति को नष्ट कर दिया गया। इन जमींदारों को सैन्यवादी वर्गों का संरक्षण प्राप्त था। इसके अतिरिक्त निवासी जमींदार केवल एक हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के अधिकारी थे।

(*b*) कोरिया में भूमि-सुधार का कारण देश के उत्तरी भाग से कम्युनिस्टों के आक्रमण की धमकी था।

(*c*) ताईवान की राष्ट्रवादी सरकार चीन की मुख्य भूमि से निर्वासित थे, और उन्हीं के द्वारा भूमि-सुधार का कार्य संभव हुआ परंतु पट्टेदारी के ठीक आँकड़े मौजूद नहीं थे और नौकरशाही तंत्र भी चिआंग काई शेक के साथ ही चीन से आया था। यह स्थिति देश की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण थी।

(*d*) ईरान, मिस्त्र, इराक और भारत अर्थात् मध्य पूर्व एशिया में जोतों को समाप्त किए बिना काश्तकारों को ये अधिकार सौंप दिए गए। इस संदर्भ में मध्य पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया की स्थिति करीब समान थी। केवल नासिर के शासन काल में मिस्त्र में भूमि-सुधार से संबंधित कार्यक्रम प्रभावशाली भू-स्वामियों, भूपतियों के सख्त विरोध के कारण अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। इसी तरह फिलिपीन्स में भी भूमि-सुधार कार्यक्रमों का प्रभाव कुछ कम ही रहा।

लैटिन अमेरिका : संपत्तियों का पुनर्वितरण–लैटिन अमेरिका में लघु कृषि स्वामित्व की व्यापक परंपरा रही है। भू-स्वामित्व के इस एकाधिकार को औपनिवेशिक शासन से जन्मा कहा जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत देशवासियों को दास बनाया जाता था या अन्य देशों से आयात किए गए। दासों से खेती करवाई जाती थी। यह खेती प्रायः बागानों में की जाती थी।

1910 से लेकर 1990 तक की लैटिन अमेरिकी देशों के लिए भूमि-सुधार का दौर था। इस बीच इन देशों में भूमि-सुधार से संबंधित कई विधियाँ अपनाई गयीं। उदाहरण के लिए, मैक्सिको, बोलिविया एवं चिली आदि देशों में पुनर्वितरणकारी योजना के अधीन बंधुआ मजदूरों को पूँजीवादी भू-संपत्तियाँ, भूमिधारी परिवारों के कामों और स्वतंत्र किसानों की श्रेणी में बदल दिए गए, इन्हें दिहाड़ी मजदूरों को भी रखने की अनुमति थी। इसी प्रकार क्यूबा में भी सभी बड़े बागानों को समूहकृत कर सहकारी समितियों के आधार को लचीला बनाया गया। इसके अतिरिक्त, इस दौरान भूमि-सुधार के संबंध में श्रम-कानून ही प्रभावकारी रहा और अनेक जगहों पर जोतने वाले के लिए भूमि के दृष्टिकोण को अपनाते हुए बटाई काश्तकारी तथा साझा कस्बों के समाप्त कर दिया गया। इसके सुखद परिणाम भी प्राप्त हुए। 1965-70 के दौरान चिली में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई।

अफ्रीका : श्वेत-स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण–अफ्रीका में भूमि-सुधार का सरोकार अल्पसंख्यक श्वेतवासियों द्वारा कृषि-भूमि स्वामित्व के असंतुलन को निवारण करने से है। निःसंदेह अल्पसंख्यक श्वेतवासियों के अंतर्गत नामिबिया तथा जिम्बाब्वे में करीब 50% तथा दक्षिण अफ्रीका में करीब 80% कृषि भूमि थी। दक्षिण अफ्रीका में यह स्थिति वहाँ के मूल निवासियों को सत्ताहस्तांतरण तक कायम थी। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे में लन्कास्टर हाउस समझौते के 15 साल बाद भी भूमि चोरी की वापसी एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। इसके अतिरिक्त केन्या में श्वेत-स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण देश की सरकार को भूमि अधिकारों की मुख्य समस्याओं को दूर करने के संबंध में अत्यधिक प्रभावित कर सकता है। बहरहाल नामिबिया और दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित भूमि-सुधार को कम संवेदनशील नहीं कहा जा सकता है।

पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में असामूहिकीकरण–सामूहिकीकरण के पश्चात् रूस में भूमि-सुधार जमींदारों के विरुद्ध कृषक संघटन का परिणाम था परंतु भूमि-सुधार से संबंधित वर्तमान घटनाक्रम भिन्न है। इसका कारण यह है कि चक गणराज्य हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि देशों में पूर्व-स्वामित्व अधिकारों को पुनः बहाल करने पर निर्णय किया जा रहा है। ये किसान भूमिहीन काश्तकार तथा खेतिहर मजदूर दोनों हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। पूर्व-साम्यवादी राष्ट्र-गुट में भूमि-सुधार के उद्देश्य निम्नलिखित थे :

(*a*) आर्थिक क्षमता और बाजार अर्थव्यवस्था को कायम रखने की आवश्यकता,

(*b*) निजी संपत्ति से राजस्व की वसूली,

(*c*) राज्य द्वारा छीने गए पूर्व-स्वामियों के अधिकारों को पुनः लागू करना, तथा

(*d*) खेतिहर मजदूरों के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना।

भूमि-सुधार में अवरोध का कारण यह था कि राजकीय अधिकारी तंत्र में पूर्व भूमिधारी अभिजात वर्ग भी उपस्थित थे, जिससे पूर्व साम्यवादी राज्यों में भूमि पुनर्वितरण की समस्याएँ काफी हद तक पुरातन बाधाएँ ही थीं।

भूमि-सुधार में अंतःक्षेप

भूमि-सुधार में चार प्रकार के अंतःक्षेप पाए पाते हैं, जोकि निम्नलिखित हैं–

(*i*) भू-धृति सुधार,

(*ii*) बाह्य उत्प्रेरण,

(*iii*) बाह्य नियंत्रण, और

(*iv*) उपाधियों का पुष्टिकरण।

विवरण

(*i*) भू-धृति सुधार–आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में भू-धृति-सुधार आवश्यक है। इसका सरोकार संपत्तिधारकों के मध्य आपसी संपत्ति-अधिकारों के समायोजन या इससे संबंधित सुधारों से है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निम्न तथ्यों पर बल दिया जाता है–

(*a*) सामान्य अधिकारों एवं हित लाभों के प्रयोग का आयोजन,

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

(*b*) पर्यवेक्षण के उद्देश्य से संवैधानिक समितियों अथवा भूमि परिषदों की स्थापना,

(*c*) अनौपचारिक जोत को औपचारिक संपत्ति अधिकारों में बदलना, तथा

(*d*) भूमि-सुधार के माध्यम से जमींदार और काश्तकार के मध्य संविदा की शर्तों का समायोजन।

***(ii)* बाह्य उत्प्रेरण**–इसका सरोकार सामाजिक, आर्थिक कारणों से सरकार द्वारा वर्तमान संपत्ति अधिकारों की पुनर्संरचना की दिशा में बाजार आधारित प्रोत्साहन से है। इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है–

(*a*) सार्वजनिक भूमि का पुनर्वितरण,

(*d*) भूमि-सुधार पर किए गए राज्य-व्यय एवं उसका निजी संपत्ति के रूप में आबंटन,

(*c*) प्रायोजित ऋण का किसी भूमि बैंक द्वारा संचालन, और

(*d*) भूमि-अधिग्रहण तथा पुनर्वितरण कार्य प्रणालियों को प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्य से संस्थाओं का सहयोग करना।

***(iii)* बाह्य नियंत्रण**–इस अंत:क्षेप में निम्न तथ्य शामिल हैं–

(*a*) वैसी पाबंदियाँ जो कानून द्वारा संपत्ति अधिकारों पर थोपी गई हों, जैसे राष्ट्रीयकरण और समूहकरण आवश्यकता से अधिक भूमि का होना या भूमि का अपर्याप्त उपयोग,

(*b*) बाह्य जमींदार या विदेशियों का स्वामित्व की स्थिति में क्षतिपूर्ति अथवा बिना क्षतिपूर्ति से संबंधित संपत्ति पुनर्वितरण की नीतियाँ,

(*c*) न्यूनतम संख्याओं से नीचे भूमि विखंडन को अवरोध करने वाले कानून।

***(iv)* उपाधियों का पुष्टिकरण**–इस अंत:क्षेप द्वारा भू-संबंधी अधिकार को प्रमाणित किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तियों के पूर्व दावों अथवा अधिकार से है। परिणामत: यह विवाद को कम करता है और भूमि-सुधार के माध्यम से ग्राम विकास को प्रोत्साहित करता है।

भूमि-सुधार के आयाम

एक संरचित भू-धृति नीति के साथ भूमि-सुधार के आयामों का अध्ययन निम्नलिखित दो श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है–

(*a*) पुनर्वितरणात्मक भूमि-सुधार, और

(*b*) संस्थागत भूमि-सुधार।

(*a*) पुनर्वितरणात्मक भूमि-सुधार का सरोकार किसी विशिष्ट समूह अथवा सामाजिक संस्था के पोत संचयन को कम करने से है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी समूह राज्य अथवा बड़े भू-स्वामियों से जमीन लेकर भूमिहीनों या छोटे उत्पादकों के मध्य हस्तांतरित कर दिया जाता है, परंतु इस प्रकार की भूमि-सुधार प्रक्रिया में अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जबकि इसमें अधिक मात्रा में आर्थिक तथा प्रशासनिक निवेश भी शामिल है। नि:संदेह भूमि के असमान वितरण के कारण बाजार अर्थव्यवस्था लघु कृषकों के विरुद्ध एक गंभीर चुनौती है और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी विद्यमान है, लेकिन पुनर्वितरणात्मक भूमि सुधार की निम्नलिखित दो मान्यताएँ हैं–

प्रथम, इसकी प्रवृत्ति सीधे लाभांश की ओर होती है। द्वितीय, इससे उत्पादकता संबंधित सुधारों का प्रभाव दूरगामी साबित हो सकता है।

तथापि यह सत्य है कि भूमि-सुधार के कारण बेहतर रोजगार प्राप्ति के अवसर तथा आय में भी वृद्धि हो सकती है और इससे अधिक सरल कृषि ऋण तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की संभावना भी बढ़ जाती है।

(*b*) संस्थागत भूमि-सुधार संस्थागत सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे सरकार तथा ग्रामीण गरीब के लिए कृषिगत पैदावार और आर्थिक मूल्य में सुधार की संभावना बढ़ जाती है। इसकी सफलता के लिए भूमि-सुधार से संबंधित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है।

भूमि-सुधार के क्षेत्र

भूमि-सुधारों की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं–

(*i*) भूमि का पुन:वितरण,

(*ii*) भूमि की अधिकतम सीमा में सुधार,

(*iii*) ऊर्जा तथा जल के सर्वोत्तम प्रयोग के संदर्भ में भूमि का पुनर्संरचना, और

(*iv*) उत्तम कृषि-उत्पादकता के अनुसार लघु कृषकों को अपनी भूमि के योग्य तैयार करना।

भूमि-सुधारों की आवश्यकता

भूमि-सुधारों की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं–

(*i*) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमि-सुधार गरीबी कम करने का एक साधन है।

(*ii*) इसका परिणाम उच्चतर कृषिगत परिसंपत्तियों के स्वामित्व तथा लघु कृषकों की आय में वृद्धि के रूप में मापा जा सकता है।

(*iii*) भूमि-सुधार के कारण कृषिगत क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की संभावना बनी रहती है।

(*iv*) इससे लघु ग्रामीण उत्पादकों के लिए कृषि-ऋण की सुगमता सुनिश्चित की जा सकती है।

(*v*) कृषिगत आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार की वस्तुओं तथा विनिर्मित वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है। ये दोनों ही स्थितियाँ विस्तृत कृषिगत संभावनाओं एवं उपभोगता माँग में वृद्धि से पोषित होती हैं।

(*vi*) भूमि-सुधार से घरेलू तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।

(*vii*) यह लघु कृषक समूहों को सुरक्षा प्रदान करता है जिससे उनकी स्थिति सशक्त हो जाती है।

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

(*viii*) वृहत्तर लैंगिक न्याय प्रियता के संदर्भ में भूमि-सुधार के द्वारा महिला कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाया जा सकता है।

(*ix*) भूमि सुधार के द्वारा असुरक्षित समूहों को प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उदाहरण के लिए वृद्ध, युवा वर्ग तथा शारीरिक और अक्षमताओं से प्रभावित लोग।

(*x*) इससे पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंधित परिरक्षण एवं प्रबंधन के कारण वन और चारागाह जैसे सार्वजनिक भूसंपत्तियों के अतिक्रमण पर पाबंदी लगाई जा सकती है।

(*xi*) भूमि-सुधार के माध्यम से ग्रामीण बेरोजगार वर्ग के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन से रोका जा सकता है।

भूमि-सुधारों का महत्त्व

भूमि-सुधार के महत्त्व निम्नलिखित हैं–

(*i*) कृषिक परिसंपत्ति में वृद्धि,

(*ii*) वितरणात्मक विषमता को दूर करना,

(*iii*) वितरण तथा गरीबी दूर करना,

(*iv*) उत्पादकता बढ़ाना, और

(*v*) आय में वृद्धि।

विवरण

(*i*) हम जानते हैं कि भूमि व्यक्तिगत परिसंपत्ति होती है। अत: इसमें सुधार करके इस घरेलू परिसंपत्ति को बढ़ाया जा सकता है।

(*ii*) यह सत्य है कि समाज में कुछ लोगों के पास बड़ी भू-जोतें होती हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों के पास या तो नगण्य भूमि है या वे पूर्ण रूप से भूमिहीन हैं। नि:संदेह भूमि-सुधार के कार्यक्रम द्वारा इसके न्यायपूर्ण वितरण के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है ताकि समाज में व्याप्त असामनता दूर हो सके।

(*iii*) ज्ञातव्य है कि विकासशील देशों में भूमि का असमान वितरण गरीबी का प्रधान कारण है। फलत: ऐसे समाज में असंख्य लोग आज गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। भूमि-सुधार को सफल बनाकर इन विषमताओं को दूर किया जा सकता है।

(*iv*) समकालीन समाज में उच्चतर कृषि-उत्पादन के लिए भूमि के वितरण में सुधार आवश्यक है। इससे कृषि पैदावार, भूमि श्रेष्ठता तथा पूँजी-उत्पादकता में व्यापक वृद्धि की संभावना बनी रहती है।

(*v*) आय में वृद्धि उच्चतर जीवन का द्योतक है। कृषि से उच्च आय प्राप्त कर ग्रामीण लघु कृषकों की आय में वृद्धि की जा सकती है और इससे उनकी आर्थिक गतिविधियाँ भी विस्तृत हो सकती हैं।

भूमि-सुधारों के प्रमुख योगदान

भूमि-सुधारों के प्रमुख योगदान को पाँच भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है जोकि निम्नलिखित हैं–

(*i*) भूमि-सुधार के माध्यम से ग्रामीण जनसमुदायों की सामाजिक-आर्थिक समानता को व्यापक बनाया जा सकता है।

(*ii*) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि-सुधार का प्रत्यक्ष सरोकार लोगों की आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति से है।

(*iii*) वर्तमान समय में अधिकांश ग्रामीण लोग गरीबी-रेखा के नीचे अपना जीवन बसर करते हैं। इस स्थिति का प्रधान कारण भूमि का असमान वितरण है। उनकी आय और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए भूमि-सुधार अर्थात भूमि का समान वितरण अत्यावश्यक है। भू-प्रबंधन में सुधार से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है जिसका लघु कृषकों की आय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वे सुरक्षा अनुभव करते हैं और कठिन परिश्रम की ओर उत्साहित होते हैं। नि:संदेह वितरण प्रतिमानों में परिवर्तन का आशय ऐसे अवसरों के वितरण से है जो उत्पादन में वृद्धि कर सके।

(*iv*) छोटी आकार की भूमि प्राय: बहुफसली होती है। इसके साथ ही पशुपालन इसका अभिन्न अंग समझा जाता है। इस प्रकार की भूमि में शारीरिक श्रम का भी अत्यधिक निवेश होता है। लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि का सरोकार व्यापार, परिवहन साधनों तथा सेवाओं में वृद्धि से है। फलत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होता है और यह बेरोजगारी को अत्यधिक कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त भू-धारकों द्वारा कृषि का मशीनीकरण आरंभ करने पर रोजगार के अन्य अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रैक्टर चालक और पम्प सहायक।

(*v*) उत्पादन से भूमि-सुधार के लिए किए गए प्रयास आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। भू-सुधार के परिणामस्वरूप एक नये वर्ग के किसान उभर कर सामने आते हैं जो निश्चित रूप से परिश्रमी होते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि-सुधार का प्रभाव बड़े भू-स्वामियों पर भी पड़ता है। वे अपनी क्षति पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे भू-स्वामी अपनी शेष भूमि पर गहन खेती की व्यवस्था करते हैं, जिससे अधिक कृषि-उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि एकल-फसल के स्थान पर बहु-फसल पैदा करने और वार्षिक फसल के स्थान पर बारहमासी फसलें उगाने की संभावना बढ़ जाती है। नि:संदेह परिश्रमी किसान प्रत्येक वर्ष फसल की उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करते हैं। भूमि-सुधार के माध्यम से बाजार के लिए निर्दिष्ट हिस्सेदारी में कमी तथा निर्यात योग्य फसलों की हानियों से ही बचा जा सकता है।

(*vi*) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कृषकों के लिए पूँजी के सृजन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे ग्रामीण विकास की गति को बल मिलता है। यह सत्य है कि लघु कृषकों को करों में छूट के कारण नगण्य कर अदा करना पड़ता है और इसके साथ ही उन्हें निर्यात करों में भी छूट दी जाती है। वे अपनी आय का अधिकांश भाग अपने भरण-पोषण पर भी खर्च

www.neerajbooks.com